पत्रांक– 20/ब० 2–10/2015 ....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के० सेंथिल कुमार, भा.प्र.से

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

सभी प्राचार्य

डायट/सी०टी०ई०/पी०टी०ई०सी०/बाईट।

पटना, दिनांक ....

विषय– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह मार्च 2016 तक व्यय की गई राशि का मिलान के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–55 दिनांक–31.03.2016 के क्रम में कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक योजना/गैर योजना अन्तर्गत व्यय की गई राशि का लेखा मिलान (सत्यापन) महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना से दो सप्ताह के अंदर कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था। परन्तु अबतक इसके अनुपालन की सूचना अप्राप्त है। उक्त के क्रम में पुनः निदेशित किया जाता है कि अपने लेखे का सत्यापन मार्च 2016 तक का करा लें साथ हीं प्रत्येक तिमाही में महालेखाकार, पटना, बिहार के कार्यालय से ससमय सत्यापन (लेखा मिलान) करा कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय एवं उसकी एक–एक छायाप्रति निदेशालय एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग के कोषांग में समर्पित किया जाय ताकि उसे वित्त विभाग हो भेजा जा सके।

लेखा मिलान नहीं होने की स्थिति में इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले प्राचार्य/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/–

(के० सेंथिल कुमार)

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

ज्ञापांक– 146 पटना, दिनांक 26/5/2016

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण